महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

कार्यवृत्त

प्रबन्ध बोर्ड की 100वीं विशेष बैठक

दिनांक

09 मई, 2022

स्थान

बृहस्पति भवन

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय

अजमेर ।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

प्रबन्ध बोर्ड की 100वीं विशेष बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

प्रबन्ध बोर्ड की 100वीं विशेष बैठक दिनांक 09 मई, 2022 को प्रातः 11.00 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबन्ध बोर्ड कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः-

1. प्रो. अनिल कुमार शुक्ला, कुलपति	अध्यक्ष
2. डॉ. विभा शर्मा, (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)	सदस्य
3. प्रो. शिव प्रसाद (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)	सदस्य
4. प्रो. सुब्रतो दत्ता (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)	सदस्य
5. डॉ. पंकज चौधरी, (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)	सदस्य
6. डॉ. चन्द्र प्रकाश कुलश्रेष्ठ (राज्यसरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)	सदस्य
7. श्री प्रशांत बैरवा, विधायक (विधान सभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)	सदस्य
8. डॉ0 सुनिता पचौरी, (आयुक्त कॉलेज शिक्षा की प्रतिनिधि)	सदस्य
9. श्रीमती बीना वर्मा, (प्रमुख शासन सचिव, आयोजना की प्रतिनिधि)	सदस्य
10. श्री प्रदीप गावड़े, (प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि बैठक में ऑनलाईन सम्मिलित हुए)	सदस्य
11. कुलसचिव	सदस्य सचिव

<u>बैठक में निम्नलिखित सदस्य अनुपस्थित रहेः-</u>

12. डॉ. रघु शर्मा, विधायक (विधान सभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)	सदस्य
13. संभागीय आयुक्त (प्रमुख शासन सचिव, वित्त के प्रतिनिधि)	सदस्य

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व कुलपति महोदय ने नवनियुक्त कुलसचिव का परिचय कराया तथा कुलपति महोदय ने प्रबन्ध बोर्ड की 100वीं बैठक के आयोजन पर प्रबन्ध बोर्ड के समस्त सदस्यों एवं विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों, अधिकारियों एवं कार्मिकों को बधाई दी । इसके पश्चात् कुलपति महोदय ने कुलसचिव को प्रबन्ध बोर्ड की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया:-

मद	विवरण	अनुभाग/विभाग
मद सं. 01	प्रबन्ध बोर्ड की 99वीं बैठक दिनांक 05 फरवरी, 2022 के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-1)** उक्त कार्यवृत्त की प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 13 (99) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2022/3283-94 दिनांक 23.02.2022 के द्वारा प्रेषित की गई ।	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड की 99वीं बैठक दिनांक 05 फरवरी, 2022 के कार्यवृत्त की निम्न प्रेक्षण के साथ पुष्टि की गयी:-** **1. निर्णय संख्या 28 पर "अंकित निर्णय" की पुष्टि नहीं करते हुए प्रबन्ध बोर्ड की इसी बैठक में प्रकरण पर मद संख्या 10 के साथ पुनर्विचार किये जाने का निर्णय लिया गया ।"**	
मद सं. 02	विद्या परिषद् की 68वीं विशेष बैठक दिनांक 12.04.2022 के कार्यवृत्त पर विचार कर पुष्टि करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-2)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**विद्या परिषद् के उक्त कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।**	
मद सं. 03	**माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करना:-** (1) **प्रतिवेदन है कि,** प्रबन्ध बोर्ड की 99वीं बैठक दिनांक 05 फरवरी, 2022 के कार्यवृत्त की मद संख्या 01 के निर्णय संख्या (II) के 2 पर गठित समिति के क्रम संख्या 03 पर "**परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा**" के स्थान पर त्रुटिवश "**परीक्षा नियंत्रक, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा** टंकित हो गया था । अतः उक्त के क्रम में माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 11.04.2022 की अनुपालना में कार्यालय द्वारा **शुद्धि-पत्र** क्रमांक एफ (99) शैक्ष-प्रथम/मदसविवि/2022/10405-448 दिनांक 18.04.2022 जारी किया गया । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-3)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	

(2) प्रतिवेदन है कि, राजस्थान सरकार द्वारा विद्यमान पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स हेतु समय-समय पर महंगाई राहत की दर में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय पेंशन नियम 1990 के विनियम 29 (बी) के तहत राज्य सरकार द्वारा घोषित दरों को विश्वविद्यालय पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स हेतु प्रवृत्त किये जाने के संबंध में माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति से जारी निम्नांकित कार्यालय आदेश प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष पुष्टि/अनुमोदन हेतु हैः- **(कार्यसूची का परिशिष्ट-04 एवं 05)**

लेखा एवं वित्त

क्र. सं.	कार्यालय आदेश क्रमांक व दिनांक	तिथि/माह जिससे संशोधित दर प्रवृत्त हुई ।	संशोधित दर
01	F 6 (41) A&F/MDSU/2022/ 441 dated 22-04-2022	01-01-2022	31% से 34%
02	F 6 (41) A&F/MDSU/2022/ 129 dated 29-04-2022	01-01-2022	196% से 203%

निर्णय — **पुष्टि की गयी ।**

(3) प्रतिवेदन है कि, राजस्थान सरकार द्वारा विद्यमान राजकीय कर्मचारियों हेतु समय-समय पर महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय के महंगाई भत्तें के नियमों के नियम 5 के तहत राज्य सरकार द्वारा घोषित दरों को विश्वविद्यालय में प्रवृत किये जाने के संबंध में माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति से जारी निम्नांकित कार्यालय आदेश प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष पुष्टि/अनुमोदन हेतु है **(कार्यसूची का परिशिष्ट-06 एवं 07)** :-

लेखा एवं वित्त

क्र. सं.	कार्यालय आदेश क्रमांक व दिनांक	तिथि/माह जिससे संशोधित दर प्रवृत्त हुई ।	संशोधित दर
01	F 6 (41) A&F/MDSU/2022/ 503 dated 30-04-2022	01-01-2022	31% से 34%
02	F 6 (41) A&F/MDSU/2022/ 513 dated 30-04-2022	01-01-2022	196% से 203%

निर्णय — **पुष्टि की गयी ।**

मद सं. 04 — **प्रबन्ध बोर्ड की 99वीं बैठक दिनांक 05 फरवरी, 2022 के मद संख्या 01 के निर्णय संख्या** (II) के 2 की अनुपालना में गठित समिति की बैठक दिनांक 19 अप्रैल, 2022 को आयोजित की गयी । बैठक का कार्यवृत्त (सीलबंद लिफाफे में) प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

परीक्षा नियंत्रक

निर्णय	उक्त समिति की बैठक दिनांक 19 अप्रैल, 2022 के कार्यवृत्त का बंद लिफ़ाफा बैठक के दौरान खोला गया । माननीय कुलपति महोदय ने कार्यवृत्त को विस्तृत रूप से पढ़कर सुनाया तथा समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त की फोटोप्रति उपलब्ध करवायी गयी । कुलपति महोदय ने सदन को अवगत कराया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय में लागू प्रश्न-पत्र मुद्रण की प्रक्रिया में बहुत सी खामियां है जिससे प्रश्न-पत्र मुद्रण में काफी कठिनाईयां आ रही है। इसमें मुख्यतः प्रश्न-पत्र मुद्रण करने वाली फर्म की 1500 कि.मी. की दूरी की अनिवार्यता के चलते छोटी-छोटी परीक्षाओं हेतु प्रश्न-पत्र मुद्रित कराने पर विश्वविद्यालय को ज्यादा भाडे का भुगतान करना पड़ रहा है, जिससे विश्वविद्यालय पर अनावश्यक वित्तीय भार पड़ रहा है । टेण्डर के माध्यम से प्रश्न-पत्र मुद्रण हेतु केवल एक फर्म निर्धारित करने की स्थिति में फर्म के द्वारा किसी कारणवश प्रश्न-पत्र मुद्रित करने से मना करने, फर्म की ज्यादा दूरी होने एवं समय की कमी के कारण फर्म के द्वारा प्रश्न-पत्र समय पर उपलब्ध कराने में असमर्थता जताने पर परीक्षाओं की तिथियों को रिशिड्यूल करना पड़ा इत्यादि। अतः प्रश्न-पत्र के मुद्रण में आ रही कठिनाईयों एवं खामियों का समुचित समाधान करने हेतु प्रबन्ध बोर्ड द्वारा समिति का गठन किया गया । समिति के द्वारा गुणावगुण पर विचार-विमर्श करते हुए बैठक के कार्यवृत्त में अनुशंसित किया है कि- प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालय यथा- मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर एवं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर में प्रश्न-पत्र मुद्रण हेतु जो प्रक्रिया अपनायी जा रही है उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए प्रश्न-पत्र मुद्रित कराये जाने चाहिए । प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों में जो प्रक्रिया अपनायी जा रही है उसे इस विश्वविद्यालय में अपनाया जाना विश्वविद्यालय हित में उचित होगा । कुलसचिव ने कहा कि समिति के कार्यवृत्त में उल्लिखित तथ्यों की नियमों के तहत समीक्षा/परीक्षण कराया जाकर इसे लागू करने पर विचार करना चाहिए । वित्त नियंत्रक को इस मद पर निर्णय करने के दौरान बैठक में बुलाया गया तथा उन्होंने आर.टी.पी.पी. एक्ट के तहत प्रश्न-पत्र मुद्रित कराये जाने पर अपनी राय दी । उपर्युक्त कथन के पश्चात् इस मुद्दे पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि- **उक्त कार्यवृत्त को स्वीकार किया गया साथ ही प्रश्न-पत्र मुद्रित कराते समय राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम (R.T.P.P. Act) की पालना सुनिश्चित किये जाने का निर्णय लिया गया । समय की कमी होने अथवा अन्य कोई उपयुक्त कारण होने पर भी उक्त कार्य हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम (R.T.P.P. Act) के तहत शॉर्ट टर्म टेण्डर कराये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया ।**	

मद सं. 05	राजस्थान सरकार वित्त विभाग (रूल्स डिविजन) द्वारा जारी मेमोरेण्डम क्रमांक एफ.14 (88) एफडी/रूल्स/2008 जयपुर दिनांक 27.02.2022 एवं क्रमांक एफ.15(88)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 27.02.2022 जो कि आर.पी.एस. नियम 2008 एवं 2017 से सम्बन्धित है, के प्रावधानों को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य किया जाना है:- **(कार्यसूची का परिशिष्ट-08 एवं 09)** 1. Admissibility of Assured Career Progression (ACP) Scheme under the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008. 2- Admissibility of Assured Career Progression (ACP) Scheme under the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017. प्रकरण प्रबंध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	**संस्थापन**
निर्णय	**राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त मेमोरेण्डम/नियमों के प्रावधानों को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं 06	संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक प.14(20) शिक्षा-4/2007 जयपुर दिनांक 31.03.2022 में वर्णित निम्न प्रावधान को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य किया जाना है:- **(कार्यसूची का परिशिष्ट-10)** 1. The concurrence of FD is given for the existing employee of Maharshi Dayanad Saraswati University, Ajmer to allow them pay scale of the post of Assistant of 5500-175-9000 w.e.f. 01-04-1999, GP 3600 w.e.f. 01-09-2006 and GP 4200 w.e.f. 01-07-2013 to get the audit objection regularized. This over payment/irregular payment made without obtaining prior approval of FD shall be borne by the University from its own sources and no grant of this account shall be made by the State Govt. As soon as the existing employees retire or posts falls vacant the pay scale of this post for new promotees/recruitees will be in Pay Level-10 by redesingating the post as Assistant Administrative Officer in place of Assistant (present designation is Assistant Section Officer). 2- In future prior approval of the State Government must be obtained to ensure compliance of the RAPSAR Act in the University. यह वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 102200676 दिनांक 07.03.2022 द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित है। प्रकरण प्रबंध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	**संस्थापन**

निर्णय	**संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक प.14(20) शिक्षा-4/2007 जयपुर दिनांक 31.03.2022 में वर्णित प्रावधानों को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं 07	मद को प्रबन्ध बोर्ड की 97वीं बैठक की कार्यसूची की मद संख्या 08 एवं प्रबन्ध बोर्ड की 99वीं बैठक की कार्यसूची की मद संख्या 11 पर प्रस्तुत किया गया था । प्रस्तुत मद पर प्रबन्ध बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि- **"प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया ।"** अतः प्रबन्ध बोर्ड के निर्णयानुसार मद पुनः प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल सम्मेलन दिनांक 4-5 जून, 2018 के बिन्दु संख्या 27 के अनुसार महात्मा गांधी के विचारों को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी पीठ की स्थापना की जानी है । उक्त सम्मेलन के कार्यवृत्त पर कार्यवाही की रिर्पोट (Action taken report) में महात्मा गांधी पीठ की स्थापना किये जाने हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, संबंधी सूचना का अंकन किया गया है । अतः विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी पीठ की स्थापना किये जाने पर विचार कर निर्णय करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-11)**	शैक्षणिक-I/ वित्त नियंत्रक
निर्णय	**प्रकरण में आय-व्यय का सम्यक विश्लेषण कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं. 08	मद को प्रबन्ध बोर्ड की 97वीं बैठक की कार्यसूची की मद संख्या 09 एवं प्रबन्ध बोर्ड की 99वीं बैठक की कार्यसूची की मद संख्या 12 पर प्रस्तुत किया गया था । प्रस्तुत मद पर प्रबन्ध बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि- **"प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया ।"** अतः प्रबन्ध बोर्ड के निर्णयानुसार मद पुनः प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । डॉ. अजय कुमार खण्डूडी, संयुक्त सचिव (राजभाषा), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक मि.सं.-16-1/2018 (राजभाषा) दिनांक 05.03.2019 के अनुसार मंत्रालय की हिन्दी सलाहाकार समिति के अनुसार विश्वविद्यालय को निर्देश दिये गये थे, कि विश्वविद्यालय में हिन्दी कार्यालय निदेशालय की स्थापना की जाए तथा उनके कार्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए । अतः विश्वविद्यालय में हिन्दी कार्यालय निदेशालय की स्थापना किये जाने पर विचार कर निर्णय करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-12)**	शैक्षणिक-I/ वित्त नियंत्रक

निर्णय	**प्रकरण में आय-व्यय का सम्यक विश्लेषण कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं. 09	वर्ष 2021 की परीक्षा में एस.पी.कॉलेज, बिजयनगर से प्राप्त नकल प्रकरण एम.ए.(पूर्वाद्ध) राजनीति विज्ञान चतुर्थ प्रश्न पत्र में छात्र रितेश शर्मा अनुक्रमांक 534357 का प्रकरण प्राप्त हुआ। फार्म संख्या 39 ई के बिन्दु II के अनुसार छात्र के पास से मोबाईल फोन पाया गया। उक्त प्रकरण विश्वविद्यालय नकल प्रकरण समिति के समक्ष दिनांक 01.04.2022 को प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा नकल प्रकरणों के निस्तारण हेतु विश्वविद्यालय नियम "Rules for Dealing with cases of Unfair-Means and Disorderly Conduct at the University Examinaitons" समिति ने उक्त नियमों को गहनता से परीक्षण करने के उपरान्त नियमों में उल्लेख नहीं होने के कारण बिन्दु संख्या 4 (पी) **(कार्यसूची का परिशिष्ट-13)** अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया है:- 4 (पी) उक्त नियमों में निम्नानुसार अंकित है:- Case of use of "unfairmeans or of disorderly conduct not covered under the above catergories from (4) (a) to 4 (o) or those which, in the opinion of Committee appointed by the Board of Management deserves some other punishment, shall be decided by the Board of Management." उक्त नियमों में मोबाईल फोन छात्र से बरामद होने पर दण्ड दिये जाने के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं पाया गया है । अतः प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	परीक्षा नियंत्रक
निर्णय	सदन ने प्रकरण पर गहन विचार-विमर्श किया । वर्तमान समय में विद्यार्थियों के द्वारा परीक्षा में नकल करने के लिए बहुत सी डिजिटल डिवाइस एवं मोबाईल फोन का उपयोग किया जा रहा है तथा किसी विद्यार्थी के पास परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन या अन्य कोई डिजिटल डिवाइस मिलने अथवा उससे नकल करते हुए पकड़े जाने पर Rules for Dealing with Cases of Unfairmeans and Disorderly Conduct at the University Examiation में कितनी सजा दी जानी चाहिए, का उल्लेख/प्रावधान नहीं किया हुआ है । अतः इस हेतु सजा का प्रावधान किया जाय । सदन ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि **-यदि किसी विद्यार्थी के पास परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन अथवा अन्य कोई डिजिटल डिवाइस मिलती है**	

	अथवा उससे नकल करते पकड़ा जाता है तो उस विद्यार्थी की वर्तमान परीक्षा को रद्द कर दिया जाय तथा आगामी परीक्षा के लिए भी उसे वंचित (Debar) किया जाय एवं उस वर्ष के अनुचित साधन निवारण समिति के समस्त प्रकरणों का निस्तारण होने के पश्चात् संबंधित विद्यार्थी को उसका मोबाईल फोन अथवा डिजिटल डिवाइस लौटा दी जाय ।	
मद सं. 10	श्री गणपति लाल गुप्ता एवं श्री राजकुमार जैन को वर्ष 1993 में मौखिक रूप से रू.1100/- प्रतिमाह के फिक्स्ड वेतन पर एंगेज किया गया था। उनके कार्य की आवश्यकता नहीं होने पर दिनांक 5.4.1995 को मौखिक रूप से उन्हें सेवामुक्त कर दिया गया था जिसे प्रार्थीगण ने श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण में चुनौती दी। श्रम न्यायालय ने अपने अवार्ड दिनांक 20.8.2002 में यह व्यवस्था दी कि बिना कानूनी प्रक्रिया की पालना किए उक्त श्रमिकगण की सेवामुक्ति अवैध व प्रभाव शून्य थी। अतः दिनांक 5.4.1995 से उन्हें रू.1100/- प्रतिमाह के फिक्स्ड वेतन पर बहाल करने तथा कनिष्ठ लिपिक के पद पर अस्थाई रूप से नियमित वेतन श्रंखला 950-1680 मय समस्त देय भत्तों के न्यूनतम वेतन का लाभ प्रदान करने के आदेश दिए साथ ही निम्न व्यवस्था दीः- ''प्रार्थी को नियमित वेतन श्रृंखला में रेग्यूलराईज किए जाने का अधिकार केवल तभी प्राप्त होगा जबकि वह क्लर्क-कम-टाइपिंग टैस्ट उत्तीर्ण कर मेरिट में स्थान प्राप्त कर लेवे।'' ''हमने प्रार्थी को सीधे रेग्यूलर न कर केवल नियमित वेतन श्रंखला में न्यूनतम वेतन प्राप्त करने का अधिकारी माना है एवं रेग्यूलराईजेशन के लिए परीक्षा पास करने व मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करने की शर्त भी निर्देशित की है।'' उक्त अवार्ड में इस तथ्य का भी उल्लेख है कि ''एलडीसी-कम-टाइपिंग टेस्ट दिसंबर 1995 में आयोजित की गई थी जिसमें प्रार्थी अन्य श्रमिकों के साथ बैठे थे लेकिन परीक्षा पास करने में सफल नहीं हो सके थे।'' विश्वविद्यालय द्वारा उक्त अवार्ड के विरुद्ध दायर अपील एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं 1885/2003 में दिनांक 17.8.2005 को पारित आदेश में एकलपीठ द्वारा श्रम न्यायालय के निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। एकलपीठ के निर्णय के खिलाफ विश्वविद्यालय द्वारा दायर एसबी स्पेशल अपील रिट संख्या 1211/2006 मंजूर की गई। एकलपीठ के फैसले को अपास्त (quashed and set aside) करते हुए डीबी द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि प्रार्थीगण को वेतन का न्यूनतम दिलाए जाने का आदेश यथावत रहेगा।	विधि

	उक्त पृष्ठभूमि में प्रार्थीगण गणपति लाल गुप्ता एवं राजकुमार जैन ने क्रमशः एसबी सिविल रिट पिटीशन सं 3564/2016 एवं 3771/2018 दायर कर यह प्रार्थना की कि एक जितेन्द्र गोस्वामी को विश्वविद्यालय द्वारा सेवा नियमित करते हुए जो परिणामी लाभ दिलाए गए अतः प्रार्थीगण एंगेज किए जाने की तारीख से उन्हें भी नियमित वेतन श्रंखला सहित लाभ दिलाए जायें। एकलपीठ द्वारा दिनांक 25.3.2021 को पारित कॉमन आदेश में उक्त याचिकाएं मंजूर कर ली गईं। विश्वविद्यालय ने एकलपीठ के उक्त आदेश के खिलाफ डीबी स्पेशल अपील रिट सं 931/2021 एवं 939/2021 दायर की जो डीबी द्वारा जरिए कॉमन आदेश दिनांक 17.12.2021 इस आधार पर खारिज कर दी गईं कि जितेन्द्र गोस्वामी एवं रविकुमार जोशी के मामले में रेग्यूलराईजेशन के आदेश की क्रियान्विति की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 5.2.2022 को आयोजित प्रबंध बोर्ड की 99वीं बैठक में इससे संबंधित मद संख्या 28 रखा गया था लेकिन प्रशासन एवं माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार उक्त दोनों प्रकरण प्रबंध बोर्ड के समक्ष पुनः विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-14 से 17)**	
निर्णय	**उक्त मद के सम्पूर्ण तथ्यों पर विस्तृत एवं गहन विचार-विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि- संबंधित प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील करने अथवा नहीं करने के संबंध में विधिक राय लिये जाने हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट ए.ए.जी., राजस्थान सरकार को प्रेषित की जाय तथा उनसे प्राप्त राय के अनुसार कार्यवाही करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया ।**	
मद सं. 11	माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार Principal Secretary Governor of Rajasthan से प्राप्त पत्र क्रमांक :F.1(A)(20)RB/2021 / 2265 dated 29.04.2022 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-18)** के साथ संलग्न अकादमिक कलैण्डर सत्र 2022-23 विश्वविद्यालय में प्रवृत्त किये जाने हेतु मद प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	**शैक्षणिक-II**
निर्णय	**राजभवन से सत्र 2022-23 हेतु प्राप्त अकादमिक कलैण्डर को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं. 12	राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग (A-Gr.II) द्वारा जारी नोटिफिकेशन जो कि अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 से संबंधित है, में वर्णित प्रावधान को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य किया जाना है:- Government of Rajasthna Department of Personnel(A-Gr.II)	**संस्थापन**

	Notification No.F 5 (51)DOP/A-II/88/Pt. Jaipur, dated 28-10-2021 (कार्यसूची का परिशिष्ट-19) प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	**राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग (A-Gr.II) द्वारा जारी उक्त नोटिफिकेशन को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं. 13	**उक्त के अतिरिक्त निम्न निर्णय भी लिये गये:-**	
	1. डॉ. दिग्विजय सिंह चौहान, सहायक कुलसचिव को उप कुलसचिव के पद पर पदौन्नत किये जाने के संबंध में पुनः प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करके तत्काल स्वीकृति प्राप्त की जाय साथ ही डॉ. एस.के. टेलर, उप कुलसचिव को, सहायक कुलसचिव के पद से उप कुलसचिव पद पर पदोन्नत किये जाने की पुष्टि हेतु भी राज्य सरकार को पत्र प्रेषित किया जाय ।	संस्थापन
	2. विश्वविद्यालय में स्थिर वेतन पर कार्यरत श्री मदन लाल शर्मा, सहायक कर्मचारी एवं श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, सहायक कर्मचारी की मृत्यु के उपरान्त उनके परिजनों के सम्मुख जीवन यापन हेतु आ रही आर्थिक समस्या के समाधान हेतु प्रबन्ध बोर्ड की 99वीं बैठक दिनांक 05 फरवरी, 2022 के निर्णय संख्या 30 (1) पर प्रकरण वित्त समिति के समक्ष रखे जाने का निर्णय लिया गया था । मृतक के परिजनों के सामने आ रही आर्थिक समस्या एवं मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए माननीय विधायक श्री प्रशांत जी बैरवा ने प्रकरण में की जा रही धीमी कार्यवाही पर असंतोष जताया तथा प्रकरण में त्वरित कार्यवाही की अपेक्षा की। अतः विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि- **वित्त समिति की डेढ़ माह के भीतर बैठक आयोजित की जाकर मृतकों के परिजनों के सम्मुख आ रही आर्थिक समस्या का समेमित समाधान किया जाय तथा संबंधित कार्मिक के उत्तराधिकारियों को विश्वविद्यालय में उनकी जमा राशि का भुगतान किये जाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाय ।**	वित्त नियंत्रक
	3. विश्वविद्यालय में स्थिर वेतन पर कार्यरत सहायक कर्मचारियों को पेंशन परिलाभ दिये जाने के संबंध में प्रबन्ध बोर्ड की 99वीं बैठक दिनांक 05 फरवरी, 2022 के निर्णय संख्या 30 (3) के अनुसरण में कुलपति महोदय के द्वारा समिति गठित की जा चुकी है । गठित समिति को, सहायक कुलसचिव (संस्थापन) समस्त संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करायेंगे । समिति अपनी रिपोर्ट डेढ़ माह में कुलपति महोदय को सौपेंगी ।	वित्त नियंत्रक/ संस्थापन

	4. डॉ. एच.एस. यादव, सेवानिवृत्त उप कुलसचिव ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि प्रबन्ध बोर्ड की 99वीं बैठक दिनांक 05 फरवरी, 2022 के निर्णय संख्या 24, जो कि सेवानिवृत्त कार्मिकों के चिकित्सा पुनर्भरण बिलों के भुगतान की सीमा के संबंध में है को लागू करने के क्रम में वित्त नियंत्रक महोदय के द्वारा जारी आदेश प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय के अनुरूप नहीं है । समस्त दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि वांछित संशोधित आदेश दिनांक 07.05.2022 को जारी हो चुके है । अतः अब प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया ।	वित्त नियंत्रक
	5. प्रो. अरविन्द पारीक एवं प्रो. सुभाष चन्द के संबंध में की गयी शिकायत के संबंध में प्रबन्ध बोर्ड की 97वीं बैठक दिनांक 03 जून, 2020 में लिये गये निर्णय संख्या 14 (4) के बिन्दु संख्या 04 एवं 05 पर प्रो. बी.एम.शर्मा, पूर्व कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था । अतः इस जांच समिति में कुलसचिव को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया ।	संस्थापन
	6. माननीय विधायक श्री प्रशांत जी बैरवा ने विश्वविद्यालय में एच.एल.ए. लगाये जाने हेतु कहा । इस पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि- विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर एच.एल.ए. लगाये जाने हेतु राज्य सरकार को पत्र प्रेषित किया जाय ।	संस्थापन

बैठक के अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया गया ।

कुलपति

कुलसचिव